रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226663 CG-DL-E-16042021-226663

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1510]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943

No. 1510]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1621(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर किन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2280 GI/2021 (1)

- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची ॥ की स्कीम । के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिस्टर कन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (एफ डी वाई)	आईएस 17261: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिस्टर कन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O.1621(E).** —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- 2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3. Certification and enforcement authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention.** -Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn(FDY)	IS 17261:2019	Textile-Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn - Specification

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC – Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1622(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (आई डी वाई)	आईएस 17264: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O. 1622(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2021.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Industrial Yarn(IDY)	IS 17264 :2019	Textile- Polyester Industrial Yarn - Specification

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1623(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
 - 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची -II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (पी ओ वाई)	आईएस 17262: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (पीओवाई)- विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O.1623(E).** —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2021.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3. Certification and enforcement authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Partially Oriented Yarn (POY)	IS 17262:2019	Textile –Polyester Partially Oriented Yarn (POY) - Specification

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1624(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, र्कितु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूच -II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स (पी एस एफ)	आईएस 17263:2019	टेक्सटाइल - पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O.1624(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2021.
 - (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Staple Fibres (PSF)	IS 17263:2019	Textile- Polyester Staple Fibres - Specification

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1625(अ).— केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची -II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए
		नाम
(1)	(2)	(3)
मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल	आईएस 7328:2020	मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल
(i) लो डेन्सिटी पॉलीएथिलीन (एल डी पीई)		की विनिर्देश
(ii) लीनियर लो-डेन्सिटी पॉलीएथिलीन (एल एल डी पीई)		
(iii) हाई डेन्सिटी पॉलीएथिलीन (एच डी पी ई)		

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O. 1625(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2021.
- (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(2)
Delegable de la Material for a contidir e and	(2)	(3)
Polyethylene Material for moulding and extrusion (i) Low Density Polyethylene (LDPE) (ii) Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) (iii) High Density Polyethylene (HDPE)	IS 7328:2020	Specification of Polyethylene Material for Moulding and Extrusion

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1626(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टाइरीन –ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
 - (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
स्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स	आईएस 11356: 2020	स्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबड़ लैटेक्स - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O.1626(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Styrene-Butadiene Rubber Latex (Quality Control) Order, 2021.
- (2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

- (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2.** Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Styrene-Butadiene Rubber Latex	IS 11356 : 2020	Styrene- Butadiene Rubber Latex- Specification

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

का.आ.1627(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो - फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची -II की स्कीम I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए शास्ति कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो - फाइबर्स	आईएस 16481:2016	टेक्सटाइल्स- सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो - फाइबर्स - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी-भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th April, 2021

- **S.O. 1627(E).** —In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title, commencement and application.** (1) This order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2021.
 - (2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.
 - (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.
- **2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.** Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix	IS 16481:2016	Textiles - Synthetic Micro - Fibres for Use in Cement Based Matrix - Specification

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.